भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग–I, खण्ड–1)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 16 /2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांकः 04 जून, 2015

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक में संशोधन अधिसूचित करते है। इन संशोधनों को 01 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

1. पैरा 1.07 में संशोधन

पैरा 1.07 के संशोधित शीर्षक को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

"1.07. ई डी आई और गैर–ई डी आई पत्तनों के लिए पृथक आवेदन पत्र।"

2. पैरा 2.47 (क) (i) और (ख) (i) में संशोधन

संशोधित पैरा 2.47 (क) (i) को इस प्रकार पढ़ा जायेगाः–

"(क) भेषज और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु अनुसंधान एवं विकास उपकरण

(i) पूर्ववर्ती लाइसेंसिग वर्ष के दौरान निर्यात के 25 प्रतिशत तक के एफ ओ बी मूल्य की वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात (सीमा शुल्क विभाग की समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं0 21/2012 दिनांक 17.03.2012 की सूची 28 में यथा विनिर्दिष्ट) की अनुमति दी जाएगी।

संशोधित पैरा 2.47 (ख) (i) को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः–

“(ख) कृषि रसायन क्षेत्र

(i) पिछले लाइसेंसिग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के 1 प्रतिशत तक के एफओबी मूल्य की दिनांक 17.03.2012 की सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना सं. 21/2012 की सूची 28 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति उस कृषि रसायन क्षेत्र की यूनिट को दी जाएगी जिसका पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक का निर्यात कारोबार हो।

3. पैरा 2.59 में संशोधन

संशोधित पैरा 2.59 को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः–

''2.59 निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की सेवाएं

पूंजीगत माल के शेष जीवन काल और मूल्यांकन/खरीद मूल्य को प्रमाणित करने हेतु सीमा शुल्क विभाग अथवा कोई अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार का प्राधिकरण परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2 झ में दी गई निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की सेवाएं ले सकता है।''

4. पैरा 2.108 (घ) में संशोधन

संशोधित पैरा 2.108 (घ) को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

2.108 उदगम के नियम (गैर अधिमानी)

''(घ) उदगम प्रमाणन (गैर अधिमानी) प्रदान करने से पहले एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि ऊपर (क) में परिभाषित मानदंड के अनुसार माल का उदमग स्थान भारत है।

प्रमाणपत्र 2 ङ के अनुलग्नक II में दिए गए प्रारुप के अनुसार जारी किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र पर कोई सुधार/फिर से टाइप न हो। परिशिष्ट 2 ङ में सूचीबद्ध होने हेतु इच्छुक एजेंसी अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट 2ङ के अनुलग्नक I के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत कर सकती है।

5. पैरा 4.37 (क) में संशोधन

पैरा 4.37 (क) में समुद्री पत्तन की सूची में ''पैराग्राफदीप'' को ''पारादीप'' पढ़ा जाए।

6. पैरा 4.38 में संशोधन

संशोधित पैरा 4.38 को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः–

''4.38 प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा

(i) 31 मार्च, 2009 को या उससे पहले जारी प्राधिकार पत्रों की किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी। क्लबिंग के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.38 के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पीआरसी द्वारा पहले ही विचार किए गए मामलों पर पुनः जांच नहीं की जाएगी। आवेदक यह घोषणा करेगा कि उसने किसी अग्रिम प्राधिकार पत्र को शामिल नहीं किया है जिसके लिए पीआरसी द्वारा पहले क्लबिंग हेतु अनुरोध पर विचार किया गया है।

(ii) क्लबिंग के लिए अनुरोध संबंधित आर ए जिसने प्राधिकार पत्र जारी किए हैं, के पास एएनएफ–4ग में किया जाएगा।

(iii) परिशिष्ट 4झ के अंतर्गत शामिल प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग तथा 18 माह से कम की निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) वाले प्राधिकार पत्रों को अनुमत नहीं किया जाएगा।

(iv) अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा केवल इन प्राधिकार पत्रों के मोचन/ नियमितीकरण हेतु उपलब्ध होगी तथा आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु क्लबिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(vi) क्लबिंग हेतु प्राधिकार पत्रों को एक जैसी सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचनाओं के तहत जारी किया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्राधिकार पत्र विभिन्न वित्तीय वर्षों से संबंधित हो सकते हैं।

(vii) (क) 05.06.2012 से पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की क्लबिंगः

केवल ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की जाएगी जो सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 36 माह के अंदर जारी कर दिए गए हैं।

(ख) 05.06.2012 को अथवा उसके बाद जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की क्लबिंगः

केवल ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की जाएगी जो सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 18 माह के अंदर जारी कर दिए गए हैं।

(ग) 05.06.2012 को या उसके बाद जारी प्राधिकार पत्र के साथ 05.06.2012 से पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की क्लबिंगः

केवल ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की जाएगी जो सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 18 माह के अंदर जारी कर दिए गए हैं।

(viii) पूर्ववर्ती प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि के बाहर किए गए निर्यातों की गणना, निम्नलिखित तरीके से समायोजन शुल्क की अदायगी पर नियमित की जाएगीः–

(क) जहां प्राधिकार पत्र 36 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ जारी किए गए थे और पोत लदान की अंतिम तिथि 48 माह के अंदर हैः–

ऐसे मामलों में, पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने के 48 माह तक किए गए निर्यातों पर क्लबिंग के लिए विचार किया जाएगा। किए गए निर्यातों की गणना पूर्व के प्राधिकार के जारी होने की तिथि से 36 माह के बाद परन्तु 42 माह तक किए गए निर्यातों के 0.5 प्रतिशत एफ ओ वी मूल्य की दर के समायोजन शुल्क की अदायगी के अधीन होंगे। पूर्व के प्राधिकार पत्र की तिथि से 42वें से 48वें माह तक प्रभावी

निर्यातों के लिए, समायोजन शुल्क किए गए निर्यातों के एफ ओ वी मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से होगा।

(ख) जहाँ प्राधिकार पत्र 18 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ जारी किए जाते हैं और पोत लदान की अंतिम तारीख 30 माह के भीतर होती है:–

ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र के सबसे पहले के निर्गम की तारीख से 30 माह तक किए गए निर्यात पर ही क्लबिंग हेतु विचार किया जायेगा। निर्यात लेखांकन सबसे पहले के प्राधिकार पत्र निर्गम की तारीख से 18 माह के पश्चात परन्तु 24 माह तक किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से समायोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। सबसे पहले के प्राधिकार पत्र की तारीख से 24वें माह के पश्चात 30वें माह तक किए गए निर्यात के लिए संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से लगेगा।

(ग) जहाँ 36 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ प्राधिकार पत्र (पत्रों) को 18 माह की प्रारंभिक दायित्व अवधि के साथ प्राधिकार पत्र (पत्रों) को क्लब किया जाता है:

ऐसे मामलों में, प्राधिकार पत्र के सबसे पहले के निर्गम की तारीख से 30 माह तक किए गए निर्यात पर ही क्लबिंग हेतु विचार किया जायेगा। निर्यात लेखांकन सबसे पहले के प्राधिकार पत्र निर्गम की तारीख से 18 माह के पश्चात परन्तु 24 माह तक किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से समायोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। 24वें माह के पश्चात 30वें माह तक किए गए निर्यात के लिए संरचना शुल्क किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से लगेगा।

(ix) निर्यात उत्पाद हेतु विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया में यथा विहित न्यूनतम मूल्य वर्द्धन को कायम रखना अनिवार्य होगा। क्लबिंग किए जाने पर यदि मूल्य अथवा मात्रा में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधानों के तहत नियमित किया जाएगा। तथापि, विभिन्न मूल्य वर्द्धन मानदंड के साथ जारी प्राधिकार पत्रों को क्लबिंग किए जाने की अनुमति क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।

(x) क्लबिंग के बाद, सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार–पत्रों को एक प्राधिकार–पत्र माना जाएगा। प्राधिकार–पत्रों की क्लबिंग के पश्चात मूल्य वर्धन की गणना कुल सीआईएफ मूल्य और कुल एफओबी मूल्य के आधार पर की जाएगी।

7. पैराग्राफ 4.42 में संशोधन

संशोधित पैराग्राफ 4.42 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"4.42. निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार

(क) किसी अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र निर्गम की तारीख से शुरू होगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए। निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.42 में दी गई है।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व में कमी के लिए 0.5 प्रतिशत के समायोजन शुल्क की अदायगी के अधीन निर्यात अवधि की समाप्ति की तिथि से छः माह तक निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार के लिए प्राधिकार–पत्र धारक के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में प्रथम समयावधि बढ़ाने के पश्चात समयावधि को आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, बशर्ते प्राधिकार–पत्र धारक ने यथानुपात आधार पर मात्रा और मूल्य के अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूरा किया हो। यह पूरा न किए गए निर्यात दायित्व के एफओबी मूल्य के 0.5 प्रतिमाह की दर से समायोजन शुल्क का भुगतान किए जाने के अधीन होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आगे समयावधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान विदेश व्यापार नीति 2009–2014 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर भी लागू होगा तथापि, उप पैरा (ग) और इस उप पैरा में यथा प्रदत्त प्रत्येक छह माह के लिए समयावधि को केवल दो बार बढ़ाये जाने की अनुमति दी जा सकती है जो संयोजन शुल्क का भुगतान किए जाने के अधीन है तथा क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में निर्यात दायित्व की अवधि को पूरा करने की अवधि के समाप्त होने की तिथि से 12 माह से अधिक समयावधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। दूसरी बार समयावधि को बढ़ाने का आवेदन करते समय प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार/सनदी अभियंता से प्राप्त प्रमाण पत्र को क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया हो कि अनुप्रयुक्त आयातित/घरेलू रूप से अधिप्राप्त की गई निविष्टियाँ आवेदक के पास उपलब्ध हैं।

(घ) तथापि, प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के परिशिष्ट 4ञ अथवा प्रक्रिया पुस्तक 2009–14 के परिशिष्ट 30 क के अंतर्गत सूचीबद्ध निविष्टि के आयात हेतु जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ड.) जब भी किसी उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध/रोक लगायी जाती है, तो प्रतिबंध लगाए जाने के पूर्व पहले से ही जारी अग्रिम प्राधिकार–पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि किसी समायोजन शुल्क के बगैर प्रतिबंध की अवधि समतुल्य अवधि के लिए स्वतः ही विस्तारित हो जाएगी।"

8. पैराग्राफ 4.85 में संशोधन

संशोधित पैरा 4.85 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

"4.85 अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात

(क) प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए लागू प्रक्रिया मूल्य वर्धन, निर्यात दायित्व अवधि और चूक के नियमन के लिए मानदंडों को छोड़कर सामान्यतः इस स्कीम के लिए लागू होगी रत्न एवं आभूषण मदों के लिए मूल्य वर्धन इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.61 के अनुसार होगा।

(ख) प्राधिकार पत्र के अधीन आयात की प्रत्येक खेप की तिथि से 120 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा करना आवश्यक होगा। तथापि सोना, प्लेटिनम और चांदी से बने फाइंडिंग, माउन्टिंग के आयात और आभूषण के निर्यात की तिथि से 180 दिन निर्यात दायित्व अवधि होगी। निर्यात दायित्व अवधि में इसके आगे विस्तार अनुमत नहीं होगा।

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक प्रत्यक्ष आयात के एवज में नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, नामित एजेंसी प्रत्यक्ष आयात के लिए अवैध प्राधिकार पत्र की विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि और सीमा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिलिपि दोनों प्रस्तुत करेगी।"

9. पैरा 7.02 (ग) में संशोधन

संशोधित पैरा 7.02 (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

7.02. लाभ का दावा करने के लिए मानदंड

"(ग) अवैधीकरण पत्र के मद्दे ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक को वस्तुओं की आपूर्ति हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए हेतु आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में निधारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। चूंकि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अंतिम उत्पाद शुल्क (टीईडी) का भुगतान करने से छूट प्राप्त नहीं है, अतः ऐसे अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी का दावा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अवैधीकरण पत्र के अनुसार किया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.08 के अनुसार जारी एआरओ के मद्दे ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में टीईडी की वापसी की अनुमति दी जाएगी। यदि शुल्क मुक्त निविष्टियों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए प्राप्त नहीं किया जाता है, तो परिणामी उत्पाद में उपयोग किए गए शुल्क अदा की गई निविष्टियों पर शुल्क वापसी अनुमत की जा सकती है।"

10. पैरा 9.10 में संशोधन आवेदन का समयबद्ध निपटानः

इस पैरा के तहत तालिका में क्रम सं. vii की श्रेणी के तहत आवेदनों के निपटान की समय सीमा को संशोधित किया जा रहा है और क्रम सं0 XV पर नई श्रेणी को जोड़ा जा रहा है।

क्रम सं0	आवेदन की श्रेणी	निपटान के लिए समय सीमा (कार्य दिवसों में)
vii	बी जी/एल यू टी की स्वीकृति	3
xv	अध्याय 3 की स्कीम	3

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u> विदेश व्यापार नीति 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक में संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है जो दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/94/80/333/एएम 15/पी सी 4 से जारी)